देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 15 अंक: 196 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...सेना की कार्यशैली और नजरियां

पेज थ्री

देहरादून, शुक्रवार, 6 नवंबर 2020

PAGE 3 PUBLICATION

मौसम अधिकतम 29.0° न्यूनतम 14.0°

37244.59 | 2 जीत की ओर बढ़ रहे जो बाइडेन | 5 तनुश्री दत्ता मेरी बैकबोन हैः इशिता

संक्षिप्त समाचार

शिक्षा मंत्री ने दिया अधिकारियों को निर्देश

संवाददाता देहरादून। विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री, उत्तराखंड सरकार अरविन्द पाण्डेय ने सचिवालय देहरादून में विद्यालयी शिक्षा सचिव, निदेशक और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उक्त बैठक के दौरान मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने प्रदेश में खुलने जा रहे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों, आदर्श विद्यालयों, राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के संचालन, व्यवस्थाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता की। उन्होंने साथ ही संपूर्ण प्रदेश के आदर्श विद्यालयों एवं राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति शीघ्र करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।

नीतीश कुमार की भावुक अपील, ये मेरा आखिरी चुनाव

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) पूर्णिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए गुरुवार को प्रचार का आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया। पूर्णिया में नीतीश कुमार ने जनता से आशीर्वाद देने की भावुक अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला।

नहीं रिहा होंगे रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) मुंबई। इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की याचिका को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत के फैसले को सही बताया है। माना जा रहा है कि इस मामले में अर्णब का पक्ष अब हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। अलीबाग की एक अदालत ने अर्णब को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

उत्तराखंड सरकार को झटका

अंतरिम आदेश से पत्रकारों के खिलाफ बहाल नहीं की जा सकती एफआईआरः सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड सरकार से कहा कि नैनीताल हाई कोर्ट ने दो पत्रकारों के खिलाफ निरस्त की गयी एफआईआर अंतरिम आदेश से बहाल नहीं की जा सकती हैं। हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर को दो पत्रकारों–उमेश शर्मा और शिव प्रसाद सेमवाल– के खिलाफ देहरादून में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी थीं। इन पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे आरोपों में इस साल जुलाई में ये प्राथमिकी दर्ज की गयी थीं। दरअसल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में प्राथमिकी निरस्त करते हुये इन

अमेरिकी रक्षा मंत्री व भारतीय रक्षा मंत्री की मुलाकात

पत्रकारों की याचिका में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के खिलाफ लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हालांकि, दो दिन बाद 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को कठोर बताते हुये इस पर रोक लगा दी थी।

हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मुख्यमंत्री को सुने बगैर ही यह आदेश पारित किया गया और इससे श्हर कोई चकितश रह गया। अब उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी निरस्त करने का हाई कोर्ट का आदेश खारिज करने का अनुरोध किया है। इन पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि 2016 में झारखंड के श्गौ सेवा आयोगश के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति का समर्थन करने के लिये राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के रिश्तेदारों के खातों में धन अंतरित किया गया था।

जानें क्या है पूरा मामलाः इन पत्रकारों के खिलाफ यह प्राथमिकी एक फेसबुक पोस्ट के सिलसिले में दर्ज की गई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 2016 में एक व्यक्ति को झारखंड के गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनवाने में मदद के लिए झारखंड से अमृतेश चौहान नाम के एक व्यक्ति ने नोटबंदी के बाद हरेंद्र सिंह रावत और उनकी पत्नी सविता रावत के बैंक खाते में पैसे जमा कराए थे जो उस समय झारखंड के भाजपा प्रभारी रहे एवं वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कथित तौर पर रिश्तेदार हैं। सेवानिवृत्त प्रोफेसर हरेंद्र ने देहरादून में शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि वह उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं।

चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई

रोहतगी का कहना था कि हाई कोर्ट का आदेश विवेचना में टिक नहीं सकता और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। हम उन्हें गिरफ्तार करके मामले की जांच करना चाहते हैं। पत्रकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुये। इस मामले को मुख्यमंत्री द्वारा पहले दायर की गयी याचिका के साथ संलग्न कर दिया गया है। इन दोनों मामलों मे अब चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

अंतरिम आदेश के माध्यम से एफआईआर बहाल नहीं कर सकते

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुये राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, हम अंतरिम आदेश के माध्यम से प्राथमिकी बहाल नहीं कर सकते। हालांकि, पीठ ने राज्य सरकार के इस कथन का संज्ञान लेते हुये ये प्राथमिकी निरस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दोनों पत्रकारों को नोटिस जारी किये।

भाजपा शाषित राज्यों में महिला व दलित उत्पीड़न की आयी बाढ़

महिला उत्पीड़न व दलित उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन

संवाददाता

देहरादून। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियां आम आदमी के शोषण का कारण हैं। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकारों पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया। महिला व दलित उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गांधी पार्क में धरना के दौरान उन्होंने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति समय पर न मिलने के कारण छात्रों को शिक्षण संस्थानों व विद्यालयों से निकाला जा रहा है। इस कारण छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय है। जिसकी जिम्मेदारी विभाग की है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग से जारी की जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि दी जाने वाली पेंशन पात्र को समय पर न मिलने कि शिकायतें आए दिन प्राप्त हो रहीं हैं, इसकी तत्काल समीक्षा करते हुए इसमें शीघ्र सुधार हो।

उन्होंने कहा कि विगत काफी समय से अनेक कॉलेज छात्रवृत्ति घोटालें में लिप्त पाए गये हैं, उनकी मान्यता निरस्त की जाए। उन्होंने कहा कि भाट, सिख जाति जो इस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है अन्य राज्य कि भांति उत्तराखंड राज्य में भी इन्हे अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मलित किया जाए।

इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, अमीचंद सोनकर, अजय बेलवाल, डॉ. प्रतिभा सिंह आदि उपस्थित रहे।

ममता सरकार का अंत समय आ गया

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

उम्मीद

■शाह ने कहा, दो–तिहाई बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार

कोलकाता। दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री तथा भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह ने गुरुवार को बांकुड़ा में कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही परिवर्तन संभव है तथा राज्य में दो–तिहाई बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। शाह ने तृणमूल सुप्रीमो पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में ममता बनर्जी के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिख रहा है। उनकी जनविरोधी नीतियों का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों को भारी उम्मीदें दिख रही हैं।

पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बांकुड़ा जिले में आदिवासियों के गढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार करते हुए शाह ने कहा कि राज्य में तृणमूल सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिख रहा है। उनकी जनविरोधी नीतियों का खामियाजा गरीब व आम लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां उपस्थित लोगों की भीड़ व उनका उत्साह बता रहा है कि ममता सरकार की मृत्यु की अब घंटी बज चुकी है। यानी उसके अंत का समय आ गया है। दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों को भारी उम्मीदें दिख रही है। मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भी परिवर्तन होगा और अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा यहां दो–तिहाई बहुमत की सरकार बनाएगी। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं को राज्य में गरीबों तक पहुंचने नहीं दे रही है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वह इस डर से इन योजनाओं को लागू नहीं कर रही है कि से भाजपा को फायदा होगा, लेकिन इससे भाजपा को रोका नहीं जा सकता है।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

रक्षा मंत्री राजनाथ का चीन को जवाब

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा भारत का संकल्प

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त लहजे में कहा है कि भारत, अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा का संकल्प रखता है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी कीमत पर इससे समझौता नहीं कर करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वीं लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध के सात महीने होने पर कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, एकतरफावाद और आक्रामकता के विरोध में रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प रखता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ गतिरोध को शांति से सुलझाने की बात की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत. बातचीत के माध्यम से मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान को महत्व देता है और सीमाओं पर शांति के रखरखाव के लिए किए गए विभिन्न समझौतों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच 6 मई को गतिरोध शुरू हुआ और इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच काफी हद तक संबंध तनावपूर्ण हैं।